दिनांकः **10.07.2026**

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 एनबीडब्लू वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना गागलहेडी पुलिस टीम द्वारा दिनाँक 09.07.2026 को ***01 एनबीडब्लू वारण्टी अभियुक्त सतनाम पुत्र कश्मीरा सिंह निवासी ग्राम माजरा सुन्हेटी खरखडी थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर*** *को सम्बन्धित वाद सं0 419/22 व मु0अ0स0 124/2005 धारा 60/62 आबकारी अधि0 थाना गागलहेडी, सहारनपुर को मुखबिर की सूचना पर* ***ग्राम माजरा सुन्हेटी खरखडी*** *से को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सतनाम पुत्र कश्मीरा सिंह निवासी ग्राम माजरा सुन्हैटी खरखडी थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 अभिनव कुमार थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर

2. उ0नि0 राजकुमार सिंह तोमर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक 10.07.2026

- ***सहारनपुर पुलिस की सख्ती का असर: थाना चिलकाना क्षेत्र के 47 गैंगस्टर व गौकशी में संलिप्त आरोपी स्वयं थाना पहुंचे, अपराध छोड़ने की ली शपथ***
- ***थाना चिलकाना पुलिस द्वारा विगत 06 माह में गौकशों के विरुद्ध व्यापक निरोधात्मक कार्रवाई—02 गैंगस्टर एक्ट, 17 गुण्डा एक्ट, 05 जिला बदर, 04 हिस्ट्रीशीट, 09 अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार***

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में तथा पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध की रोकथाम, कानून-व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने तथा गौकशी, गैंगस्टर एक्ट एवं अन्य जघन्य अपराधों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध लगातार प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की सतत कानूनी कार्रवाई, निरंतर निगरानी एवं सख्त कार्यशैली का सकारात्मक प्रभाव अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।

इसी क्रम में थाना प्रभारी चिलकाना श्री विनोद कुमार के नेतृत्व में थाना चिलकाना पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध लगातार की गई प्रभावी कार्रवाई के परिणामस्वरूप थाना क्षेत्र के गौकशी, गैंगस्टर एक्ट एवं अन्य गंभीर अपराधों में संलिप्त 47 आरोपी स्वयं थाना चिलकाना पहुंचे। सभी ने हाथों में अपराध छोड़ने, कानून का पालन करने तथा ईमानदारी से जीवनयापन का संदेश लिखी तख्तियां लेकर भविष्य में किसी भी प्रकार के अपराध से दूर रहने, गौकशी जैसी अवैध गतिविधियों में शामिल न होने तथा मेहनत-मजदूरी एवं वैध रोजगार के माध्यम से अपने परिवार का पालन-पोषण करने की शपथ ली।

इस अवसर पर थाना प्रभारी चिलकाना ने सभी को स्पष्ट चेतावनी दी कि भविष्य में किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि में संलिप्त पाए जाने पर उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्हें कानून का पालन करते हुए समाज की मुख्यधारा से जुड़कर सम्मानजनक जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर ने कहा कि जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध "जीरो टॉलरेंस" की नीति के तहत कठोर कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी *। अपराध का मार्ग छोड़कर वैधानिक एवं सम्मानजनक जीवन अपनाने वालों का स्वागत है, किंतु कानून तोड़ने वालों के प्रति किसी प्रकार की रियायत नहीं बरती जाएगी। सहारनपुर पुलिस जनपदवासियों की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था एवं अपराधमुक्त समाज के निर्माण के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।*

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी एवं सतत कार्रवाई के परिणामस्वरूप क्षेत्र में अपराधियों के मन में कानून का भय उत्पन्न हुआ है तथा अपराध छोड़कर समाज की मुख्यधारा से जुड़ने की सकारात्मक प्रवृत्ति भी देखने को मिल रही है। सहारनपुर पुलिस भविष्य में भी अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध इसी प्रकार कठोर एवं प्रभावी कार्रवाई जारी रखेगी ।

विगत 06 माह में थाना चिलकाना पुलिस द्वारा गौकशी में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध की गई प्रमुख निरोधात्मक कार्रवाई

- ***गैंगस्टर एक्ट: 02 अभियोग पंजीकृत, 06 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई।***
- ***गुण्डा एक्ट: 17 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई।***
- ***जिला बदर: 05 अपराधियों को जिला बदर कराया गया।***
- ***हिस्ट्रीशीट: 04 शातिर अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोली गई।***
- ***पुलिस मुठभेड़: गौकशी में संलिप्त 09 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए।***

दिनांकः 10.07.2026

-प्रेस नोट-

ऑपरेशन सवेरा

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

□ सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करों के विरूद्ध कडी कार्यवाही □

थाना मिर्जापुर पुलिस का मादक पदार्थों की तस्करी पर करारा प्रहार — 01 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 148 ग्राम अवैध चरस बरामद ,

*अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में **“ऑपरेशन सवेरा”** – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है। जिस सम्बन्ध मे दिनांक 01.07.206 को थाना मिर्जापुर पर मु0अ0स0 185/26 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट मे अभि01. अमित उर्फ माला पुत्र नेताराम 2. सचिनउर्फ पहाडी पुत्र प्रेम निवासी ग्राम नागलमाफी थाना मिर्जापुर पजीकृत किया गया था जिसमे अभि0 उपरोक्त को दिनांक 01.07.2026 को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था*

*इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे नशीलें पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार मे शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान **“ऑपरेशन सवेरा””** के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.07.2026 को थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान **01 वांछित नशा तस्कर अभियुक्त1 सचिन उर्फ पाहडी पुत्र प्रेम सिह निवासी ग्राम नागलमाफी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** को ग्राम मिर्जापुर से शेरपुर पेलो जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। कब्जे कुल 148 ग्राम अवैध चरस बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त मुकदमा उपरोक्त **(मु0अ0स0 185/26 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट)** में वांछित चल रहा था। अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहे है*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/ पताः-

सचिन उर्फ पाहडी पुत्र प्रेम निवासी ग्राम नागलमाफी थाना मिर्जापुर सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

148 ग्राम अवैध चरस,

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. *उ0नि0 रामकुमार गौतम चौकी प्रभारी माता शाकुम्बरी देवी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।*
2. *उ0नि0 मुकेश सोलकी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर*
3. *हे0का0 32 गौरव भाटी थाना मिर्जापुर सहारनपुर*
4. *रि0का0 1483 विकास यादव थाना मिर्जापुर सहारनपुर*

दिनांक: 10.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शराब तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 07 बोतल माल्टा रसीला देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण व नशा तस्करी/बिक्री आदि की रोकथाम एवं नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सन्तोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा दिनांक 09.07.2026 को दौराने गस्त ***01 नशा तस्कर अभियुक्त सलमान उर्फ मक्खी पुत्र उस्मान निवासी खुंगर कालोनी, हबीबगढ़ रोड, थाना कुतुबशेर, जिला सहारनपुर*** *को अम्बाला रोड मानकमऊ नहर जाने वाले रास्ते के बीच बने खण्डहर के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 07 बोतल माल्टा देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद हुई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त सलमान उर्फ मक्खी उपरोक्त के विरूद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 309/2026 धारा 63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. सलमान उर्फ मक्खी पुत्र उस्मान निवासी खुंगर कालोनी, हबीबगढ़ रोड, थाना कुतुबशेर, जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 07 बोतल माल्टा देशी शराब हरियाणा मार्का।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 198/23 धारा 380,411 भादवि थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0स0 309/26 धारा 63 आबकारी अधिनियम थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1. प्र0नि0 श्री सन्तोष कुमार त्यागी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री अजयपाल सिह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री आकाश कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 840 अनुज आर्य थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
5. है0का0 1081 रुपेन्द्र सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
6. रि0का0 1373 बृजेश कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

दिनांक:10.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना बडगाँव, सहारनपुर पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ में जान से मारने की नियत से फायरिंग के मुकदमें में वाछित अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम एव वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण एवं थाना प्रभारी बडगाँव श्री नरेन्द्र भडाना के कुशल नेतृत्व में दिनांक 09.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना बड़गांव पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ के मुकदमें में फरार चल रहे ***वांछित अभियुक्त नाजिम पुत्र कय्यूम निवासी ग्राम पण्डौली थाना नागल जनपद सहारनपुर*** *को सम्बन्धित मु0अ0सं0 70/26 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस थाना नागल में ग्राम पाण्डौली से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त एक शातिर किस्म का अभ्यस्त अपराधी है जिसके विरूद्ध जनपद के विभिन्न थानो पर डेढ़ दर्जन से अधिक मुकदमें दर्ज है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

नाजिम पुत्र कय्यूम निवासी ग्राम पण्डौली थाना नागल जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1- मु0अ0सं0 34/19 धारा 3/5क/8 गोवध अधिनियम थाना जनकपुरी जनपद स0पुर
2- मु0अ0सं0 103/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना जनकपुरी जनपद स0पुर
3- मु0अ0सं0 79/26 धारा 3/8 गोवध अधिनियम थाना कोतवाली देहता जनपद स0पुर
4- मु0अ0सं0 82/26 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद स0पुर
5- मु0अ0सं0 275/18 धारा 3/5क/8 गोवध अधिनियम थाना नागल जनपद स0पुर
6- मु0अ0सं0 32/19 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना नागल जनपद स0पुर
7- मु0अ0सं0 32/21 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम थाना नागल जनपद स0पुर
8- मु0अ0सं0 67/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नागल जनपद स0पुर
9- मु0अ0सं0 181/22 धारा 307 भादवि थाना नागल जनपद स0पुर
10- मु0अ0सं0 182/22 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम थाना नागल जनपद स0पुर
11- मु0अ0सं0 183/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नागल जनपद स0पुर
12- मु0अ0सं0 115/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नागल जनपद स0पुर
13- मु0अ0सं0 64/24 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना नागल जनपद स0पुर
14- मु0अ0सं0 200/25 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम थाना नागल जनपद स0पुर
15- मु0अ0सं0 205/25 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट जनपद स0पुर
16- मु0अ0सं0 222/25 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट जनपद स0पुर

17- मु0अ0सं0 63/26 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम थाना नागल जनपद स0पुर

18- मु0अ0सं0 187/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना नागल जनपद स0पुर

19- मु0अ0सं0 70/26 धारा 109(1)/3(5)बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना नागल जनपद स0पुर

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का नाम पता

1- थानाध्यक्ष श्री नरेन्द्र भडाना थाना बडगांव जनपद सहारनपुर

2- उ0नि0 श्री हितेश कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।

3- कां0 1091 अनुज कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।

4- कां0 951 निकेत शर्मा थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।

दिनांक 09.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना तीतरों पुलिस द्वारा 03 शातिर गौकश अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 20 किलो गौमांस, 03 अवैध देशी तमंचे 315 बोर, 03 जिन्दा करातूस 315 बोर व गौकशी के उपकरण बरामद

घटना का विवरणः- दिनांक 09.07.2026 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम कोलाखेडी से धानवा वाले रास्ते की तरफ जाने वाले खडेंजे पर कुछ व्यक्ति गौवंश के कटे हुए मांस को पोलीथीन आदि मे भर रहे है जो मांस को बेचने की फिराक मे है तथा उनके पास अवैध अस्लाह भी है।

पुलिस कार्यवाहीः- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग की जा रही है । इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थानाध्यक्ष तीतरों श्री विकास चारण के कुशल नेतृत्व में दिनांक 09.07.2026 को थाना तीतरों पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर बताये गये स्थान पर पहुंचे तो कुछ व्यक्ति गौ मांस को छोटे-छोटे टुकडों में काटकर पोलीथीन मे भर रहे **03 शातिर गोकश अभियुक्तगण 1. एजाज पुत्र बशीर निवासी ग्राम धानवा थाना तीतरो जनपद सहारनपुर, 2. इसराईल पुत्र बशीर निवासी ग्राम धानवा थाना तीतरो जनपद सहारनपुर व 3. वासिद पुत्र अफजाल निवासी ग्राम समसपुर कला थाना सरसावा जनपद सहारनपुर** को ग्राम कोलाखेडी से धानवा वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण **के कब्जे से 20 किलो गोमांस, 03 अवैध तमंचे 315 बोर, 03 जिन्दा करातूस 315 बोर, गोकशी के उपकरण (02 बडे छुरे, 01 छोटा छुरा, 01 कुल्हाडी, 01 तराजू, 03 लोहे के बांट (02 किलो, 01 किलो, 500 ग्राम) व 01 लकडी का तख्ता** बरामद तथा 04 व्यक्ति मौके का फायदा उठाकर अपने हाथो मे लिए सामान को लेकर मौके से फरार हो गये । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना तीतरों पर मु0अ0सं0 87/2026 धारा धारा-3/5 ए/8 सी.एस एक्ट एवं 3/25 आर्मस एक्ट बनाम एजाज व अन्य 06 के विरूद्ध पंजीकृत किया गया । अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. एजाज पुत्र बशीर निवासी ग्राम धानवा थाना तीतरो जनपद सहारनपुर
2. इसराईल पुत्र बशीर निवासी ग्राम धानवा थाना तीतरो जनपद सहारनपुर
3. वासिद पुत्र अफजाल निवासी ग्राम समसपुर कला थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 20 किलो गोमांस
- 03 अवैध तमंचे 315 बोर
- 03 जिन्दा करातूस 315 बोर
- गोकशी के उपकरण (02 बडे छुरे, 01 छोटा छुरा, 01 कुल्हाडी, 01 तराजू, लोहे के बांट (02 किलो, 01 किलो, 500 ग्राम) व 01 लकडी का तख्ता)

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम</u>-

1. *थाना प्रभारी श्री विकास चारण थाना तीतरों जनपद सहारनपुर*
2. *उ0नि0 श्री कृष्ण कुमार थाना तीतरों जनपद सहारनपुर*
3. *का0 1034 रविन्द्र कुमार थाना तीतरों जनपद सहारनपुर*
4. *का0 1090 अमित कुमार थाना तीतरों जनपद सहारनपुर*
5. *रि0का0 2625 जितेन्द्र कुमार थाना तीतरों जनपद सहारनपुर*
6. *का0 2504 रवि पिप्पल, थाना तीतरों जनपद सहारनपुर*

-प्रेस नोट-

दिनांक: **10.06.2026**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा रंगदारी के मुकदमें में फरार चल रहे वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

घटना का विवरणः- दिनांक 09.07.2026 को वादी श्री पंकज अरोड़ा पुत्र श्री गुलशन राय निवासी माधव नगर थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त नीरज गुजराल उर्फ मोनू पुत्र श्री अश्वनी गुजराल निवासी मौहल्ला जाफरनवाज निकट नागपाल आटा चक्की थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर द्वारा वादी के विरूद्ध हत्या का फर्जी मुकदमा लिखाने के नाम पर वादी से 05 लाख रूपये मांगने व वादी से कुल 72 हजार रूपये ले लेने की सूचना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0स0-164/2026 धारा 308(6) बीएनएस के पंजीकृत किया गया था।

पुलिस कार्यवाहीः- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर घटना मे लिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में **वांछित अभियुक्त नीरज गुजराल उर्फ मोनू पुत्र श्री अश्वनी गुंजराल निवासी मोहल्ला जाफरनवाज निकट नागपाल आटा चक्की थाना को0 नगर सहारनपुर** को मुखबिर की सूचना पर खुमरान पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

नीरज गुजराल उर्फ मोनू पुत्र श्री अश्वनी गुंजराल निवासी मोहल्ला जाफरनवाज निकट नागपाल आटा चक्की थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर

आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0स0 164/2026 धारा 308(6) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर
2. मु0अ0स0 88/2022 धारा 147,307,323,341,386,447,506 भादवि थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर
3. मु0अ0स0 86/2023 धारा 323, 452, 504, 506 भादवि थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. व0उ0नि0 श्री राजकुमार सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
2. रि0का0 1336 विदित राज थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर

दिनांक- 10.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था भंग की आशंका के दृष्टिगत 01 अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर श्री प्रमोद कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.07.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान 01 अभियुक्त ***अदनान पुत्र मुर्तजा निवासी मक्काबांस थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर*** *को थाना क्षेत्र से कानून एवं शान्ति व्यवस्था भंग की आशंका के दृष्टिगत अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस में नखासा बाजार से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अदनान पुत्र मुर्तजा निवासी मक्काबांस थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री सत्येन्द्र शर्मा थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।
2. का0 2546 नवीत कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।
3. का0 1329 विजय बहादुर थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।

दिनांक: **10.07.2026**

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास मे वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, अभियुक्त के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा, 01 खोखा व 01 जिन्दा कारतूस बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 08.07.2026 को थाना कुतुबशेर पर वादी श्री अमन पुत्र भगतराज निवासी मौ० जाटव नगर थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर ने बाबत अभियुक्त 1.सौरभ पुत्र छोटेलाल निवासी मौहल्ला जाटव नगर थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर व कुछ अज्ञात व्यक्ति द्वारा जान से मारने की नियत से वादी के ऊपर फायर करना जिससे वादी का बाल-बाल बच जाना व गाली गलोच करते हुए जान से मारने की धमकी देकर मौके से भाग जाने के सम्बन्ध मे दाखिल किया जिसके आधार पर थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0-306/26 धारा 109(1)/352/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश निर्देश निर्गत किये गये। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सन्तोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 09.07.2026 को थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए हत्या के प्रयास मे वांछित अभियुक्त सौरभ पुत्र छोटेलाल निवासी मौहल्ला जाटव नगर थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर को अभियुक्त को माल गोदाम रोड पर पुराने बंद पड़े प्लेटफार्म से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01अवैध तमंचा 315 बोर व 01 खोखा व 01 जिन्दा कारतूस बरामद। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 351(3)/3(5) बीएनएस व धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम की बढ़ोतरी की गई। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सौरभ पुत्र छोटेलाल निवासी मौहल्ला जाटव नगर थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 01 अवैध तमंचा 315 बोर
- 01 जिंदा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर (घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सन्तोष कुमार त्यागी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 सुभाष चन्द थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 1298 अरविन्द कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. का0 1826 मोनू कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
5. रि0का0 1333 सुनील कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

दिनांक: 10.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के मुकदमें में वांछित 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

घटना का विवरणः-

दिनांक 21.10.2025 को वादी श्री रतन सिंह पुत्र स्व0 रिढवा निवासी ग्राम पिंजौरा थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1-राजेंद्र गुर्जर पुत्र तेजपाल निवासी एवं कॉलोनी निकट सोफिया स्कूल आर्य समाज मंदिर के पास थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर 2-अश्वनी कुमार पुत्र मदनलाल शर्मा निवासी मकान नंबर 269 रेलवे कॉलोनी थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर 3-वेद प्रकाश पुत्र प्रकाश चंद्र निवासी अभिषेक नगर थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर द्वारा वादी को किसी दूसरे व्यक्ति का प्लाट दिखाकर 04 लाख 84 हजार रूपये लेकर फर्जी बैनामा करवा देना पता चलने पर कि बैनामे शुदा प्लाट पर किसी और का कब्जा है वह प्लाट अभियुक्त राजेन्द्र का नही है पैसे वापस माँगना एव पैंसे न देना तथा एक एक झूठी व फर्जी दस्तावेज (रशीद) तैयार कर वादी के हस्ताक्षर बनवाना एव गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देना व जाती सूचक शब्दो का प्रयोग करने के सम्बन्ध मे थाना सदर बाजार पर मु0अ0स0 578/2025 धारा 420/467/468/471/504/506/406 भादवि व 3(1)द,ध एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत कराया गया था।

पुलिस कार्यवाहीः-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक सदर बाजार श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.07.2026 को थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **राजेन्द्र कुमार पुत्र तेजपाल सिह निवासी ग्राम हथछोया थाना झिझाना जिला शामली , हाल निवासी एवन कालोनी निकट सोफिया स्कूल आर्य समाज मंदिर के पास थाना सदर बाजार, जिला सहारनपुर** को एवन कालोनी निकट सोफिया स्कूल आर्य समाज मंदिर के पास से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यावाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

राजेन्द्र कुमार पुत्र तेजपाल सिह निवासी ग्राम हथछोया थाना झिझाना जिला शामली, हाल निवासी एवन कालोनी निकट सोफिया स्कूल आर्य समाज मंदिर के पास थाना सदर बाजार, जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्रीचन्द्रसैन सैनी थाना सदर बाजार सहारनपुर।
2. उ0नि0 सुशील कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर।
3. है0का0 616 अमित कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर।
4. रि0का0 2038 गजेन्द्र सिह थाना सदर बाजार सहारनपुर।